(अम्बालाल)

158/5/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/9/21	दावा पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act पेश किया गया। द्वारा वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 22.11.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जारी।
22.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट आंतरदा में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार अम्बालाल व रामनारायण एक ही व्यक्ति है जिसके पिता का नाम बजरंगा जाति धाकड़ है। तथा निवासी अरनेठा का है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 84 के खसरा सं. 12, 517 व 518 कुल किता 3 कुल रकबा 6.3182 हैक्टेयर में से अम्बालाल पुत्र बजरंगा का हिस्सा 1/7 है। अत: जमाबंदी में अम्बालाल उर्फ रामनारायण पुत्र बजरंगा किया जाना उचित है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार नाम संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: ग्राम अरनेठा पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या नया 84 के खसरा सं. 12/2.8881, 517/3.3654 व 518/0.0647 कुल किता 03 कुल [illegible] 6.3182 हैक्टे० भूमि पर दर्ज खातेदार [illegible] पुत्र बजरंगा"	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के स्थान पर 'अम्बालाल उर्फ रामनारायण आत्मज बजरंगा जाति धाकड़ निवासी धरनेगा' का अंकन दुरुस्त करते हुए उसका अंकन समस्त राजस्व रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner